न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी: पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उनवान

भंवरलाल बनाम घीसे खां

प्रकरण संख्या :-1408/15

1. भंवरलाल पुत्र देवलाल जाति कहार आयु 70 वर्ष निवासी खेजड़ा तहसील अकलेरा
2. नाथूलाल पुत्र देवलाल जाति कहार आयु 68 वर्ष निवासी खेजड़ा तहसील अकलेरा
3. गुलाबचंद पुत्र देव लाल जाति कहार आयु 66 वर्ष निवासी खेजड़ा तहसील अकलेरा
4. खेमचंद पुत्र देव लाल जाति कहार आयु 64 वर्ष निवासी खेजड़ा तहसील अकलेरा
5. नंदलाल पुत्र रता जाति कहार मृतक कायम मुकामान

5/1 लाल जी पुत्र नंदलाल जाति कहार आयु 70 वर्ष निवासी खेजड़ा तहसील अकलेरा

5/2 मांगीलाल पुत्र नंदलाल जाति निवासी खेजड़ा मृतक कायम मुकामान

5/2/1 लीलाबाई पत्नी मांगीलाल जाति कहार आयु 45 वर्ष निवासी खेजड़ा तहसील अकलेरा

5/2/2 सीमा पुत्री मांगीलाल जाति कहार आयु 17 वर्ष निवासी खेजड़ा नाबालिग

5/2/3 पूजा पुत्री मांगीलालजाति कहार आयु 15 वर्ष निवासी खेजड़ा नाबालिग

5/2/4 मधु पुत्री मांगीलाल जाति कहार आयु 13वर्ष निवासी खेजड़ा नाबालिग

5/2/5 भूली बाई पुत्री मांगीलाल जाति कहार आयु 10 वर्ष निवासी खेजड़ा नाबालिग

5/3 रामचंद्र पुत्र नंदलाल जाति कहार आयु 45 वर्ष निवासी खेजड़ा तहसील अकलेरा

6 चौथमल पुत्र रता जाति कहार आयु 65 वर्ष निवासी खेजड़ा तहसील अकलेरा

7 कालू पुत्र किशन लाल जाति कहार आयु 66 वर्ष निवासी खेजड़ा तहसील अकलेरा

8 मोतीलाल पुत्र किशन लाल जाति कहार आयु 60 वर्ष निवासी खेजड़ा तहसील अकलेरा

9.मोहनलाल पुत्र किशन लाल जाति कहार आयु 70 वर्ष निवासी खेजड़ा तहसील अकलेरा

..... वादी

1 घीसे खां पुत्र सुल्तान खां जाति मेवाती आयु 65 वर्ष निवासी कुंजरा की टापरिया

2. जगमाल खान पुत्र सुल्तान खां जाति मेवाती आयु 60 वर्ष निवासी कुंजरा की टापरिया

3.अशरफ खान पुत्र सुल्तान खां जाति मेवाती आयु 58 वर्ष निवासी कुंजरा की टापरिया

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)

4.लियाकत खान पुत्र सुल्तान खां जाति मेवाती आयु 65 वर्ष निवासी कुंजरा की टापरिया

5 नसीब खान पुत्र सुल्तान खां जाति मेवाती आयु 52 वर्ष निवासी कुंजरा की टापरिया

6. हनीफ खान पुत्र आलम खां जाति मेवाती आयु 65 वर्ष निवासी कुंजरा की टापरिया

7.असलम पुत्र आलम खां जाति मेवाती आयु 65 वर्ष निवासी कुंजरा की टापरिया

तहसील मनोहरथना

8. रमकू बाई पुत्री किशन लाल पत्नी गुलाबचंद जाति कहार मृतक कायम मुकामान

8/1 गुलाबचंद पुत्र वरधीलाल जाति कहार आयु 70वर्ष निवासी पथरी तहसील छीपाबडोद जिला बारां

9. सुगना बाई पुत्री किशन लाल पत्नी भंवरलाल जाति कहार आयु 40 वर्ष निवासी अकलेरा

10 धनरूप पुत्र देवलाल मृतक कायम मुकामान

10/1 शांतिबाई पत्नी स्व 0 धनरूप जाति कहार निवासी कटफला तहसील अकलेरा

10/2 पुष्पबाई पुत्री धनरूप पत्नी राधेश्याम जाति कहार निवासी कटफला तहसील अकलेरा

10/3 कविता पुत्री धनरूप पत्नी घनश्याम जाति कहार निवासी ताल तहसील पचपहाड़

10/4 निर्मला पुत्री धनरूप पत्नी सुरेश जाति कहार निवासी ताल तहसील पचपहाड़

..... प्रतिवादी गण

विषय: दावा अंतर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत विभाजन।

-:निर्णय:-

दिनाँक:- 15.01.2026

उपस्थित

श्री रामवतार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण

श्री कैलाश वैष्णव अधिवक्ता प्रतिवादी 8/1 लगायत 10/4

वादी द्वारा एक वाद जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 13.08.2015को अंतर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया है। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:- ग्राम कुंजरा तहसील मनोहरथाना के माल में खतौनी संख्या 70 नई की खसरा नंबर 262 की 8 बीघा 13 विस्वा आरजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 8 लगायत 9 के शामलाती खाते में स्थित है। सह खातेदार धनरूप पुत्र देवलाल का देहांत हो गया है अतः उसके वारिसान को वाद में

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादिगण एक लगायत सात ने लगभग 8 वर्ष पूर्व आराजी मुतनाज़ा पर जबरन कब्जा कर लिया है जोकि बेदखल होने योग्य है। वादीगण ने प्रतिवादिगण से कब्जा छोड़ने के लिए कई बार कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। अंतिम बार दिनांक 16.5.2015 को इनकार करने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण एक लगायत सात डिक्री फ़रमाया जाए। ग्राम कुंजरा तहसील मनोहरथाना के माल में खतौनी संख्या 70 नई की खसरा नंबर 262 की 8 बीघा 13 विस्वा आरजी से प्रतिवादीगण एक लगायत सात को बेदखल किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए ।प्रतिवादीगण एक लगायत सात से 50000 सालाना पेनल्टी भी दिलाने का निवेदन भी किया है। वादी ने वादपत्र के साथ अपना शपथ पत्र एवं ग्राम कुंजरा पटवार हल्का सरेडी तहसील मनोहर थाना के खाता संख्या नया 70 पुराना 72 खसरा नंबर 262 रकबा 8 बीघा 13 विस्वा की संवत 2069 से 2072 की जमाबंदी पेश की है। मुताबिक जमाबंदी भवरलाल, नाथूलाल,गुलाबचंद खेमचंद धनरूप पिता देवलाल मांगीबाई पुत्री देवलाल हिस्सा बराबर नंदलाल,चौथमल पिता रत्ता ब कालू मांगीलाल मोहनलाल पिता किशनलाल रमकूबाई सुगनाबाई पुत्रियां किशनलाल भंवरीबाई पत्नी स्वर्गीय किशनलाल जाति कहार निवासी खेजड़ा खातेदार है।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादिगण की तलबी की गई किंतु बावजूद तलबी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रतिवादिगण के प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता फ़िरोज़ खान पर सन 2019 में एक तरफा कार्रवाई को मंसूख किया गया तथा उन्हें जवाब पेश करने के लिए एक अवसर दिया गया ।बावजूद अवसर देने के प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया अतः उनका जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी 8/1 लगायत 10/4 की तरफ से कैलाश वैष्णव अधिवक्ता ने उपस्थित होकर इक़बाल दावा पेश किया इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी 8/1 से 10/4 के बीच विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार को लेकर कोई विवाद शेष नहीं रहा तथा विवाद केवल प्रतिवादी 1 से 7 के कथित अतिक्रमण तक सीमित रह गया।।प्रतिवादिगण 1 लगायत 7 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं प्रतिवादी 8/1 लगायत 10/4 के इक़बाल दावा पेश करने से तनकीयात कायम नहीं की जा सकी। साक्ष्य वादी में वादी में नाथू लाल पिता देवलाल मोतीलाल

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

पिता कनीराम जाति मीणा के शपथ पत्र पेश किया। दौराने बहस अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में लिखे गए कथनों को ही दोहराया गया तथा उसी के अनुसार वादी का दावा डिक्री किए जाने की प्रार्थना की ।

हमने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का गौर पूर्वक अध्ययन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गहन अवलोकन किया तथा इस वाद पत्र के सन्दर्भ में तथ्यों एवं विधिक प्रावधानो पर मनन किया। वादी द्वारा अंतर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बेदखली का दावा पेश किया गया है उक्त धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लिए प्रावधानों का यहां उल्लेख किया जाना समीचीन होगा :-

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 183 अतिक्रमियों की बेदखली बाबत है जो इस प्रकार है--

धारा 183– कतिपय अतिक्रमियों की बेदखली -

(1)इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रावधानों में किसी विपरीत बात के होते हुए भी कोई अतिक्रमी जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना वैध अधिकार के ले लिया है या ले रखा है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के वाद पर जो उसे आसामी के रूप में बेदखली करने क़े हकदार है उप धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए बेदखली का भागी होगा और साथ ही प्रत्येक कृषि वर्ष जिसमें उसने पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग में इस प्रकार कब्जा रखा हो के लिए जुर्माने के तौर पर ऐसी रकम चुकाने का भी भागी होगा जो सालाना लगान के 15 गुना तक हो सकती है।

(2) ऐसी भूमि जो सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई हो या जिस पर राज्य सरकार तहसीलदार की मार्फत अतिक्रमण को आसामी के रूप में स्वीकार करने की हकदार है तहसीलदार राजस्थान लैंड रिवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसरण में कार्रवाई करेगा

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय के समक्ष निम्न बिंदु उभरते हैं जिन्हें की इस प्रकरण में तय किया जाना है-

1. क्या विवादित आराजी खसरा नं. 262, रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा वादीगण के खातेदारी की

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

भूमि है?

2.क्या प्रतिवादीगण 1 से 7 ने उक्त आराजी पर बिना किसी विधिक अधिकार के अनाधिकृत कब्जा (Trespass) कर रखा है?

3.क्या वादीगण प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने और स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं?

4.क्या वादीगण मेस्न प्रॉफिट्स प्राप्त करने के हकदार हैं?

बिंदु संख्या 1 एवं 2: वादीगण की ओर से अपने दावे के समर्थन में शपथपत्र तथा जमाबंदी संवत 2069 से 2072 (ग्राम कुंजरा, खाता नई 70/पुरानी 72, खसरा नं. 262) प्रस्तुत की गई है। जमाबंदी के सूक्ष्म अवलोकन से यह स्पष्ट एवं निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है कि खसरा नंबर 262 पर वादीगण (भंवरलाल, नाथूलाल, गुलाबचंद, खेमचंद, नंदलाल के वारिसान, चौथमल, कालू, मोतीलाल, मोहनलाल) तथा प्रोफॉर्मा प्रतिवादीगण 8 से 10 का नाम बतौर 'खातेदार' दर्ज है। अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 (घीसे खां वगैरह) का नाम जमाबंदी में खातेदार, काश्तकार, पट्टेदार या किसी अन्य विधिक हैसियत में कहीं भी अंकित नहीं है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 140 यह उपबंधित करती है कि अधिकार अभिलेख (Record of Rights) में की गई सभी प्रविष्टियां सत्य मानी जाएंगी जब तक कि उन्हें विपरीत सिद्ध न कर दिया जाए।

इस संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय उल्लेखनीय हैं:*नन्दलाल बनाम देवी शंकर, 2002 (2) WLC (Raj) 185 / 2002 Supreme (Raj) 421 में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है: "जमाबंदी (Jamabandi), जो सार्वजनिक अधिकार अभिलेख है, पक्षकारों के कब्जे एवं स्वत्व का प्रमाण है। धारा 140 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत इसकी प्रविष्टियां सत्य मानी जाती हैं जब तक विपरीत सिद्ध न हो।"*

रमेशवर बनाम राजस्व बोर्ड, 2018 में यह स्पष्ट किया गया कि राजस्व अभिलेख में पंजीकृत

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

खातेदार ही भूमि का विधिक अधिकारी माना जाएगा। प्रस्तुत मामले में, वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जमाबंदी से यह बखूबी साबित किया है कि उक्त विवादित आराजी के बैसियत रिकर्डेड काश्तकार है अतः वादीगण की साक्ष्य पूर्णतः अविखंडित रही है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 अतिक्रमी की बेदखली का प्रावधान करती है। जब धारा 183 के प्रावधानों को प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) के साथ संयोजित रूप से देखा जाता है, तो यह बिल्कुल स्पष्ट एवं निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 विवादित आराजी पर 'कृषि काबिज' (Agricultural Occupier) की वह अवैध हैसियत धारण करते हैं जो विधिकतः पूर्णतः बेदखली योग्य है।

मोतीलाल बनाम मदन (राजस्थान उच्च न्यायालय) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि एक सह-खातेदार भी अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 183 के अंतर्गत बेदखली का वाद ला सकता है और ऐसा वाद पूर्णतः पोषणीय है।

मोदूराम बनाम राजस्व बोर्ड, 2015 में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्टतः कहा है कि अतिक्रमी को कृषि काबिज मानकर धारा 183 के तहत बेदखली अनिवार्य है।

अतः बिंदु संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णीत किये जाते हैं। यह सिद्ध है कि वादीगण विवादित भूमि के पंजीकृत खातेदार हैं और प्रतिवादीगण 1 से 7 का कब्जा 'अनाधिकृत अतिक्रमण' की श्रेणी में आता है।

बिंदु संख्या 3:- विरुद्ध प्रतिवादगण स्थायी निषेधाज्ञा:- चूंकि बिंदु संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में सिद्ध हो चुके हैं कि वे विधिक खातेदार हैं और प्रतिवादीगण अतिक्रमी हैं, अतः वादीगण धारा 183 के अंतर्गत प्रतिवादीगण को बेदखल करवाने के पूर्णतः अधिकारी हैं। साथ ही, वादीगण के अधिकारों की सुरक्षा एवं भविष्य में पुनः हस्तक्षेप रोकने हेतु धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना भी न्यायोचित एवं न्यायसंगत है।

बिंदु संख्या 4: मेस्न प्रॉफिट्स (Mesne Profits) का अधिकार प्रतिवादीगण 1 से 7 ने लगभग 8 वर्ष से वादीगण की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है और वादीगण को उनकी भूमि के उपयोग से

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

वंचित किया है। अतः वादीगण प्रतिवादीगण विरुद्ध विवादित अवधि के लिए मेस्न प्रॉफिट्स (भूमि उपयोग से वंचना के लिए क्षतिपूर्ति) प्राप्त करने के विधिक रूप से हकदार हैं। राजस्थान में राजस्व न्यायालयों की स्थापित प्रथा के अनुसार, अतिक्रमण के मामलों में मेस्न प्रॉफिट्स विवादित भूमि के स्थिति लगान (Prevailing Land Revenue) के 15 गुना प्रतिवर्ष की दर से निर्धारित किये जाते हैं।

अतः, पत्रावली के समग्र अवलोकन, साक्ष्यों की सूक्ष्म विवेचना, राजस्व अभिलेखों के परीक्षण एवं विधिक प्रावधानों के अनुपालन में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादीगण का वाद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के विरुद्ध पूर्णतः सिद्ध, सत्यापित एवं डिक्री योग्य है।

-: आदेश :-

वादीगण का दावा धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत पूर्णतः स्वीकृत एवं डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 को आदेश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की तिथि से दो मास (02 मास) की अवधि के भीतर ग्राम कुंजरा, पटवार हल्का सरेडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ के राजस्व माल (खाता संख्या नई 70/पुरानी 72), खसरा संख्या 262, रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा की विवादित आराजी से स्वयं एवं अपने कब्जाधारियों/आश्रितों सहित पूर्णतः बेदखल होकर, भूमि का रिक्त, निष्कलंक एवं शांतिपूर्ण आधिपत्य वादीगण को सौंप दें। उक्त अवधि व्यतीत होने पर यदि प्रतिवादीगण स्वयं बेदखल नहीं होते हैं तो तहसीलदार, मनोहरथाना द्वारा पुलिस सहायता से बेदखली का निष्पादन सुनिश्चित किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी पर वादीगण के शांतिपूर्ण काश्त, उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप, अतिक्रमण, क्षति अथवा बाधा न पहुंचावें। वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के विरुद्ध दावा दायर करने की तिथि से लेकर वास्तविक कब्जा सौंपने की तिथि तक विवादित आराजी के लगान के 10 गुना प्रतिवर्ष की दर से मेस्न प्रॉफिट्स प्राप्त करने के हकदार हैं। तहसीलदार, मनोहरथाना को निर्देश दिया जाता है कि वे तत्काल विवादित आराजी खसरा संख्या 262 के स्थिति लगान की गणना कर, उसके 10 (दस) गुना की दर से निर्धारित अवधि का मेस्न

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रॉफिट्स निर्धारित करें तथा प्रतिवादीगण 1 से 7 से भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली कर वादीगण को भुगतान कराएं। इस आदेश का अनुपालन 60 (साठ) दिवस की अवधि में सुनिश्चित किया जावे।

पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रमाणित प्रति संबंधित पक्षकारों, तहसीलदार मनोहरथाना को पालना हेतु उपलब्ध कराई जावे।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर दिनांक 15 जनवरी 2026 को सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया जाकर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना